झारखण्ड सरकार
कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 1412 दिनांक 18-05-19

सेवा में,

श्री सौमित्रा सिंह,
उप महाप्रबंधक (वन एवं पर्या0),
सी.सी.एल. दरभंगा हाऊस राँची।
झारखण्ड– 834029

विषयः– आम्रपाली खुली खदान परियोजना फेज–II हेतु 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली खुली खदान परियोजना का पत्रांक– GM(M-A)/P&P/19-20/39 दिनांक 26.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आम्रपाली खुली खदान परियोजना फेज–II हेतु 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव आठ प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया जिसमें कई त्रुटियाँ एवं वांछित अभिलेख नहीं पाये गये जो निम्नवत है–

1. प्रस्ताव के पार्ट–1 में Person Making Application में सौमित्रा सिंह, उप महाप्रबंधक है परन्तु प्रस्ताव की सभी पृष्ठों पर दिलीप कुमार शर्मा, परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली ओ.सी.पी. परियोजना का मुहर, नाम एवं हस्ताक्षर अंकित है जबकि प्राधिकृत पदाधिकारी श्री सौमित्रा सिंह का नाम, मुहर एवं हस्ताक्षर प्रस्ताव के सभी पृष्ठों पर होना अनिवार्य है। कृपया सुधार की जाय।
2. पार्ट–1 के कंडिका F(ii) में अपलोड R&R प्लॉन की प्रति अपूर्ण है एवं F(ii)(a) में Approval to ministry of Tribal Affairs GoI to R&R की प्रति अपलोड करना है जबकि आपके द्वारा R&R प्लॉन की अपूर्ण प्रति भी इसमे अपलोड किया गया है जो सही नही है।
3. पार्ट–1 के कंडिका K(i) में No का उल्लेख है जिसे Yes करते हुए उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक की प्रति अपलोड किया जाय।
4. ऑन लाईन प्रस्ताव में Approval of mining Plan की प्रति अपलोड है परन्तु हार्ड कॉपी में संलग्न नही है संलग्न किया जाय।
5. ऑन लाईन प्रस्ताव में Approved mining Plan की प्रति अपलोड है परन्तु हार्ड कॉपी में संलग्न नही है संलग्न किया जाय।
6. पार्ट–1 के कंडिका 1(A) में आम्रपाली परियोजना हेतु माईनिंग लीज के लिए कोल बेयरिंग क्षेत्र के तहत 1297.42 हे0 भूमि अधिगृहित करने का उल्लेख है जबकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र के अवलोकन में पाया गया कि इस परियोजना हेतु कुल एरिया 1426.08 हे0 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। इस प्रकार 128.66 हे0 भूमि में आई भिन्नता को स्पष्ट किया जाय। इस भिन्नता को स्पष्ट किया जाए।
7. आम्रपाली ओ.सी.पी. परियोजना के लिए अधिगृहित कुल भूमि का भूमि विवरणी दिखाते हुए पूर्व में स्वीकृत 531.64 हे0 अपयोजित वन भूमि को घटाते हुए अवशेष भूमि विवरणी संलग्न करना अनिवार्य है ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि इस परियोजना में अब अवशेष कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है।

8. आम्रपाली ओ.सी.पी. परियोजना हेतु 1426.08 हे0 पर भारत सरकार द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति के क्रम में 861.26 हे0 माईनिंग 79.16 हे0 ओ.बी.डी. डम्प, 14.56 हे0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, 42.25 हे0 पथ, 179.00 हे0 रेलवे साईडिंग, 20.33 हे0 सी.एच.पी, 46.70 हे0 में टाउनसीप एवं 172.20 हे0 अन्य के लिए (Nallah Diversion embankment of garland drain, safety zone etc.) है, परन्तु पार्ट–1 के कंडिका B-2.4 में Component wise breakup में दिखाये गये रकबा एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रयोग हेतु रकबा में काफी अन्तर है इसे स्पष्ट किया जाए।

9. प्रस्ताव में संलग्न टोपोमैप 1:50,000 स्केल पर माईनिंग लीज एरिया की बाउण्ड्री दिखाया गया है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और न हीं लिजेण्ड में लीज एरिया को दर्शाया गया है। कलर पेन से लीज बाउण्ड्री को दर्शाते हुए लिजेण्ड में भी लीज क्षेत्र को किस कलर से दर्शाया गया है अंकित करते हुए टोपोमैप संलग्न किया जाय।

10. प्रस्ताव में सलंग्न भूमि विवरणी का अवलोकनोपरांत पाया गया कि उक्त परियोजना में कुल अधिग्रहित क्षेत्र 765.79 हे0 है जबकि इसमें से पूर्व में 531.64 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कि गई है तो मात्र 234.15 हे0 शेष क्षेत्र बचे है इस प्रकार आपके द्वारा पुनः 765.79 हे0 में खनन एवं अन्य कार्य हेतु प्रस्ताव पर स्वीक ति हेत समर्पिति कि गई है इस भिन्नता को स्पष्ट किया जाय।

11. पूर्व में स्वीकृत 531.64 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु समर्पित Geo-reference Boundary Map एवं 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के लिए समर्पित Geo-reference Boundary Map के अवलोकनोपरांत पाया गया कि दोना मैप में कुछ भाग Overlap एवं 531.64 हे0 स्वीकृति के पूर्व खाली क्षेत्र को अपयोजन हेतु लेना अनिवार्य था जिसमे से कुछ भाग को खाली छोड दिया गया है इसे स्पष्ट किया जाय।

12. उक्त परियोजना में कोल बेयरिंग क्षेत्र के तहत कुल 1297.42 हे0 भूमि अधिगृहित करने का उल्लेख है, 1426.08 हे0 पर भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है एवं प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी के सांराश में कुल 765.79 हे0 भूमि अधिग्रहित करने का उल्लेख है। इन भिन्नताओं को स्पष्ट किया जाय।

13. प्रस्ताव में वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त वांछित अभिलेख प्रस्ताव में सलग्न करने हेतु एवं त्रुटियों के निराकरण के लिए प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है।

<u>अनु0–यथोक्त–</u>

विश्वासभाजन,

[signature] 18/5

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।

279
18/5/19